न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर केम्प कोर्ट ग्राम अरडका

पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 17 / 2021

उनवान

रूप सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. रघुनाथ सिंह पुत्र श्री दातार सिंह
2. गोपाल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह
   जाति राजपूत निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उगमराराम
4. सूरजमल पुत्र श्री हीराराम
5. सुगनचन्द्र पुत्र श्री हीराराम
6. जाति जाट निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 03.1.2022

आदेश

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत अरडका में फोलोअप शिविर में पेश हुई। पेरोकार सरकार एवं तहसीलदार अजमेर उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मगरा तहसील अजमेर स्थित प्रार्थी का कुआ खसरा नम्बर 298 है उक्त कुए पर खसरानम्बर 301, 300, 297, व 299 है। उक्त खेतो व कुए पर आने जाने के

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

ए एक मात्र गेर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 979 है। उक्त रास्ते पर अप्रार्थीगण
गायत 5 ने गेर इरादतन अतिक्रमण कर लिया है लिसको खुलवााया जाना आवश्यक है।
रास्ते को खुलवाने बाबत प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर
तहसीलदार महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया, तब नायब तहसीलदार महोदय अरड़का
उक्त अप्रार्थीगण के खिलाफ दिनांक 16.11.2019 को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
की कार्यवाही की ओर दिनांक 29.12.2017 को गेर मुमकिन रास्ता सिवायचक रिकार्ड में दर्ज है
और उक्त अप्रार्थीगण अतिक्रमी को बेदखल किए जाने का आदेश दिया और दण्ड स्वरूप लगान
एक रूप्ये की 50 गुणा कुल शास्त्री 50 रूप्ये आरोपित की गई और प्रार्थी की खातेदारी की
आराजी में आने जाने का रास्ता जो अप्रार्थीगण ने बन्द कर दिया उक्त बन्द रास्ते को खुलवाये
जाने और अतिक्रमण से मुक्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थी
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के कुंआ खसरा नम्बर 298 एवं खसरानम्बर
301, 300, 297 व 299 पर आने जाने के लिए गेर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 979 दर्ज है
और उक्त बन्द रास्ते को खुलवा कर अतिक्रमियों से मुक्त करवाये जाने के आदेश न्यायहित में
प्रदान करावे जिससे प्रार्थी अपने खेतो में आवागमन कर सके।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए।

तहसीलदार अजमेर के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का खसरा नम्बर 797 राजस्व रेकार्ड अनुसार पूर्व में ही सिवायचक खाते में दर्ज है तथा राजस्व नक्शे में रास्ता अंकित है। सिवायचक आराजी में जारी रास्ते को प्रत्यर्थीगण द्वारा बन्द कर दिये जाने के कारण नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से रास्ते को खुलवाये जाने की इस्तुआ धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हाजा न्यायालय से चाही गई है जबकि राजसथान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अनुसार सम्बन्धित खातेदार/काश्तकार की जमीन को अवाप्त की जाकर तत्कालीन डी.एल.सी रेट के अनुसार राशि जमा कराकर ही रास्ता दिए जाने का प्रावधान है तथा 251 राजस्थन काश्तकारी के तहत कार्यवाही करने की शक्तियां तहसीलदार

Scanned by CamScanner

स्पष्ट निहित है। साथ ही सम्बन्धित पटवारी/आईएल आर को रिपोर्ट दिनांक 25.8.2021 का अवलोकन किया गया जिसमें भूर्ण अंकन किया गया कि उक्त रास्ता सिवायचक दर्ज होकर प्रकरण की धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है जिससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा विवादित अतिक्रमण बाबत मामला विचाराधीन है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गेर मु0 रास्ता (सिवायचक) पर अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण हो उसे नियमानुसार हटवाये जाने की कार्यवाही करे ।

आदेश आज दिनांक 03.1.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

महावीर सिंह
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner